विविध

निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :—80/15
दायरा दिनांक :—09.07.15
निर्णय दिनांक :— 31.10.22

उनवान

गोरधन पुत्र श्री चर्तुभुज जाति ब्राह्मण निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां वादी

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र केशरीलाल जाति माली निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0
2. रवि जाटव पुत्र श्री बाबूलाल जाति जाटव निवासी मण्डोला वार्ड बारां जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :— 31.10.22

अभिभाषक उपस्थित :—1. बालमुकुन्द गुर्जर एड0— वादी
2 हरिओम चतुर्वेदी एड0— वादी
1. श्री महेश प्रकाश गौतम एड0— प्रतिवादी
2. श्री संजय नागर एड0— प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया किप्रार्थी के खाते की आराजियात ख0 नं0 2428 रकबा 0.50 हे0 वाके माल मंडोला तहसील व जिला बारां मे अवस्थित है जिस पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी की पैमाइश दिनांक 17.06.2010 को करवायी गई थी। जिसमें अप्रार्थी कम 01 बंशीलाल पुत्र श्री केशरीलाल जाति माली निवासी मंडोला तहसील व जिला बारां राज0 अप्रार्थी कम 2 रवि जाटव पुत्र श्री नामालूम जाति जाटव नि0 मंडोला वार्ड बारां जिला बारां द्वारा प्रार्थी की करीब आधा बीघा जमीन कब्जे में निकली। जिस पर बेदखली की कार्यवाही के दौरान अप्रार्थीगण द्वारा व अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा प्रार्थी द्वारा की मेड़बन्दी के दौरान जे सी बी का कांच तोड दिया गया। तथा अभी भी कम 2 द्वारा ईंट कंकड पत्थर व मिट्टी के अवशेष जा ईंट के भट्टे के लिए काम आते है उनको प्रार्थी के [illegible] खेत में अवैध रूप से डालकर कब्जा कर रखा है। अप्रार्थी कम 2 लडाकू व आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जो प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को धारा 3 के झूठे मुकदमे में फसाने की धमकियां देकर व जान से [illegible] की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.2[illegible] 10:26:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

धमकियां देकर प्रार्थी की जमीन पर जबरन व ताकत के बल पर कब्जा कर रखा है। कब्जा छोडने की कहने पर जान से मारने व बारां आने पर मारने पीटने की धमकियां देता है। पूर्व में अप्रार्थी कम 1 व 2 के विरूद्ध थाना कोतवाली बारां में भी मुकदमा दर्ज करवाया जा चुका है। जिसमें अप्रार्थीगणों को पाबंद किया हुआ है।

प्रार्थी के खाते की आराजी पर से अप्रार्थीगणों का कब्जा अविलम्ब रूप से हटवाया जाकर बेदखल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थी द्वारा उक्त अप्रार्थीगणों से कब्जा काश्त नहीं करने के लिए मना किया तो अप्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर गांव से निकालने की कही गयी। जिससे प्रार्थी अपनी आराजियात को काश्त करने से वंचित हो गया। प्रार्थी उक्त आराजी को काश्त करने के अभाव में परिवार पर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। प्रार्थी के मात्र एक ही सहारा उक्त आराजियात का ही था। प्रार्थी को उक्त आराजियात का कब्जा दखल अप्रार्थीगण से संभलाया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। अप्रार्थीगणों को प्रार्थी की उक्त आराजियात को कब्जा काश्त करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। प्रार्थी उक्त सर्म्पूण आराजियात को अपने स्वामित्व में प्राप्त करने का अधिकारी व नालिशी है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 का जवाब दर्ज किया गया तथा प्रतिवादी कम 2 की ओर से जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम मंडोला सम्वत् 2070–73 खाता सं0 466, नकल जमाबंदी ग्राम मंडोला सम्वत् 2070–73 खाता सं0 468, नकल जमाबंदी ग्राम मंडोला सम्वत् 2070–73 खाता सं0 108, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मंडोला पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 गोरधन के बयान कराये गये। साक्ष्य प्रति वादी में DW1 रविन्द्र कुमार के बयान कराये गये।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः–

तनकी नं0 1:– आया कि ग्राम मंडोला के खसरा नं0 2428 रकबा 0.50 हे0 वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। –वादीगण

तनकी नं0 2:–आया कि वादी के खातेदारी की आराजी के पूर्वी ओर स्थित खसरा नं0 2429,2430 की आराजी पर ईट भट्टा लगाकर प्रतिवादीगण ने वादी की आधा बीघा आराजी पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया। –वादीगण

तनकी नं0 3:–आया कि वादी उक्त अतिक्रमित आराजी से प्रतिवादीगण के बेदखल करवा कर दखल प्राप्त करने का अधिकारी है। –वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

तनकी नं0 4:—आया कि प्रतिवादी कम 2 की आराजी पर रास्ता कायम करने के लिए वादी ने पटवारी हल्का से झूठी रिर्पोट तैयार करवा कर मिथ्या वाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है।

—प्रतिवादी 2

तनकी नं0 5:— अनुतोष

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मंडोला तहसील बारां जिला बारां में स्थित है। जिस वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थी की आधा बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा है। वादी द्वारा भूमि की पैमाइश करवायी गई तो प्रतिवादीगण का वादी की आधा बीघा भूमि पर कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादी अतिकमी है। प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रतिवादी का कथन है कि वादी ने असत्य तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है। वादी एवं प्रतिवादी की आराजी पास—पास है वादी अपनी भूमि को बेचना चाहता है वह हमारी भूमि में होकर रास्ता बनाना चाहते है। प्रतिवादी का काई कब्जा व अतिकमण वादी की भूमि पर नहीं है। वादी आये दिन लडाई झगडा करता है। प्रतिवादी का ईंटों का भट्टा अपनी भूमि पर है। वादी द्वारा झूठा पेश किया है। जो काबिल खारिजी है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी के वाद का तनकीवार निस्तारण निम्नानुसार किया गया है:—

तनकी नं0 1:— इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम मंडोला सम्वत् 2070—73 खाता सं0 108 में ओमप्रकाश पुत्र चर्तुभुज हिस्सा 1/2, गोरधन पुत्र चर्तुभुज हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी ख0 नं0 2428 रकबा 0.50 हे. वादी के खातेदारी एंव कब्जे काश्त में है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2, 3:— इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। नकल जमाबंदी ग्राम मंडोला सम्वत् 2070—73 खाता सं0 466 एवं नकल जमाबन्दी ग्राम मंडोला सम्वत् 2070—73 खाता सं0 468 में दर्ज नं0 2429 एवं 2430 प्रतिवादी कम 2 के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत नकल नक्शा ट्रेस प्रर्दश 4 के अनुसार खसरा नं0 2429 एवं खसरा नं0 2430 वादी के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 2428 से लगे हुए है। वादी की भूमि पर ईंट भट्टा लगाकर प्रतिवादीगण द्वारा आधा बीघा भूमि पर कब्जा होना बताया है वादी की भूमि की पैमाईश करवा कर यदि प्रतिवादी का कब्जा वादी की भूमि पर [illegible]ता है। तो प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे। अतः यह तनकी [illegible] के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

तनकी नं0 4:– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी कम 2 पर था प्रस्तुत नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि आस–पास तथा एक मेड से लगी हुई है। वादी की भूमि की पैमाईश करवाने पर यह मालूम होगा की प्रतिवादीगण द्वारा वादी की कितनी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। वादी की भूमि की पैमाईश टीम गठित कर करवायी जावें। तथा वाद पैमाईश प्रतिवादी का कब्जा पाया जाता है। तो प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के निर्णय से यह साबित होता है कि वादी एवं प्रतिवादी की भूमि एक मेड से लगी हुई है। वादी की भूमि की बिना पैमाईश करवाये यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी द्वारा वादी की कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है वादी का वाद स्वीकार कर वादी की भूमि की पैमाईश करवाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मंडोला तहसील बारां जिला बारां के ख0 नं0 2428 रकबा 0.50 हे0 भूमि की टीम गठित कर पैमाईश करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। वाद पैमाईश वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...लय उपखण्ड अधिकारी, बांरा जिला बारां (राज0)

डिक्री

...द संख्या 80/2015	धारा अन्तर्गत 183 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 31.10.22
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:-श्री हरिओम चतुर्वेदी एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:- श्री संजय नागर एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

गोरधन पुत्र श्री चर्तुभुज जाति ब्राह्मण निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां वादी

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र केशरीलाल जाति माली निवासी मण्डोला तहसील बारां जिला बारां राज0
2. रवि जाटव पुत्र श्री बाबूलाल जाति जाटव निवासी मण्डोला वार्ड बारां जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मंडोला तहसील बारां जिला बारां के ख0 नं0 2428 रकबा 0.50 हे0 भूमि की टीम गठित कर पैमाईश करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। वाद पैमाईश वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 31.10.22 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला-बारां
उपखण्ड अधिकारी
बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner